प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-322/2026 दिनांक-18.11.2026)
दिनांक-18.11.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा चोरी गये आयशर ट्रक को बरामद करते हुए एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार व क्रेन सीज।

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17.11.2026 को थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 437/2026, धारा 303(2), बीएनएस से सम्बन्धित चोरी गये आयशर ट्रक संख्या UP53JT8314 को बरामद करते हुए एक अभियुक्त हरिओम मद्धेशिया पुत्र रामसनेही मद्धेशिया निवासी परवरपार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार संख्या UP52BL0308 व क्रेन को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), 318(4) की बढोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

सूचनाकर्ता श्री प्रांजल पाण्डेय द्वारा सूचना दी गयी कि उनका आयशर कम्पनी का ट्रक संख्या UP53JT8314 थाना कप्तानगंज क्षेत्रान्तर्गत इन्दरपुर के आगे पेट्रोल पम्प के पास से चोरी हो गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 437/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण एवं चोरी गये वाहन की बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा था। जिसके क्रम में दिनांक 17.11.2026 को अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा टेकुआटार स्थित धर्मकांटा के पास से चोरी गये आयशर ट्रक को बरामद किया गया। मौके पर पहुंचे वादी मुकदमा द्वारा ट्रक की पहचान अपनी गाड़ी के रूप में की गयी ।

अपराध का तरीकाः-

अभियुक्त हरिओम मद्धेशिया अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर वाहनों की चोरी कर उनके महत्वपूर्ण पार्ट्स बेचने का एक

Edit with WPS Office

संगठित गिरोह बनाकर अपराध करता है। अभियुक्तगण सड़क किनारे अथवा सार्वजनिक स्थानों पर खड़े ट्रकों एवं अन्य वाहनों को मोबाइल ऐप के माध्यम से चेक करते हैं तथा जिन वाहनों पर बैंक अथवा फाइनेंस कम्पनी का ऋण बकाया होता है, उन्हें अपना निशाना बनाते हैं। इसके बाद स्वयं को रिकवरी एजेन्ट अथवा इन्श्योरेंस कम्पनी का सदस्य बताकर क्रेन संचालकों को विश्वास में लेते हुए क्रेन बुक करते हैं तथा वाहन स्वामी की अनुमति एवं वैध आदेश के बिना वाहनों को क्रेन से खिंचवाकर सुनसान स्थानों पर खड़ा कर देते हैं। इसकी सूचना वाहन स्वामी, पुलिस अथवा सम्बन्धित कम्पनी को नहीं देते हैं। इसके पश्चात वाहनों की बैटरी, एक्सल, शीशा आदि महत्वपूर्ण पार्ट्स निकालकर कबाड़ी को बेच देते हैं तथा शेष वाहन को कटवाकर उसके पुर्जे बेचकर अवैध धन अर्जित करते हैं। प्राप्त धनराशि को आपस में बाँट लेते हैं। इसी तरीके से अभियुक्तगण द्वारा ट्रक संख्या UP53JT8314 को कप्तानगंज क्षेत्र से क्रेन द्वारा उठाकर टेकुआटार में खड़ा किया गया तथा उसके महत्वपूर्ण पार्ट्स निकालकर बेच दिये गये। इस प्रकार फर्जी रिकवरी का बहाना बनाकर संगठित रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 437/2026 धारा 303(2), 317(2), 318(4) बीएनएस थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—
हरिओम मद्धेशिया पुत्र रामसनेही मद्धेशिया निवासी परवरपार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण—
1. एक अदद चोरी का आयशर कम्पनी का ट्रक संख्या UP53JT8314। (कीमत करीब 24 लाख रूपये।)
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद काले रंग की क्रेटा कार संख्या UP52BL0308 व क्रेन सीज। (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—
1. थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र कुमार राय , थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
2. उ0नि0 विवेक कुमार पाण्डेय, थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
3. का0 अभिषेक सिंह, थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
4. का0 अभिषेक यादव, थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
5. का0 अरविन्द यादव, थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

Edit with WPS Office

6. का0 सौरभ सिंह, थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
7. का0 मुकेश कुमार, थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

थाना कसया पुलिस द्वारा दहेज हत्या से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.11.2026 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 0698/2026 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 0698/2026 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-
केशव कुमार सिंह पुत्र रामइकबाल सिंह निवासी मंझरिया कुरमौटा थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1. थानाध्यक्ष इत्यानन्द पाण्डेय थाना कसया जनपद कुशीनगर ।
2. उ0नि0 मुन्नीलाल थाना कसया जनपद कुशीनगर ।
3. का0 श्रवण यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर ।
4. का0 राजनरायन यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर ।
5. का0 इन्द्रेश कुमार थाना कसया जनपद कुशीनगर ।

Edit with WPS Office

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 69 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में-
1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-02, ई-चालान-35 वाहन
2. 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही- मु0- 76, व्यक्ति- 217
3. वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)
4. जनपद में कुल गिरफ्तारी– (कुल-71)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office